


9/11/21

“प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021” के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश होने से पंचायत समिति, भूपालसागर में शिविर दिनांक 09.11.2021 शिविर स्थल ग्राम पंचायत, भूपालसागर में पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने स्वयं की ग्राम रावतिया में स्थित निजी खातेदारी की आराजियात सं. 26 रकबा 0.12 है., आ.सं. 30 रकबा 0.13 है., आ.सं. 31 रकबा 0.09 है., आ.सं. 40 रकबा 0.08 है., आ.सं. 41 रकबा 0.07 है., आ.सं. 42 रकबा 0.15 है., आ.सं. 862 रकबा 0.55 है., आ.सं. 1555 रकबा 0.97 है. आ.सं. 1556 रकबा 0.01 है. किता 9 रकबा 2.17 हैक्टेयर भूमियों पर पत्थरगढ़ी के निशानात कायम नहीं होने से आये दिन विवाद होने से पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। शिविर स्थल पर हल्का पटवारी से मौका स्थिति के बारे में जानकारी ली गई, हल्का पटवारी ने बताया कि मौके पर सीमा निशानात नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाई जाना उचित है। पत्रावली के अवलोकन के पश्चात प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर ग्राम रावतिया में स्थित निजी खाते की आराजियात संख्या 26 रकबा 0.12 है., आ.सं. 30 रकबा 0.13 है., आ.सं. 31 रकबा 0.09 है., आ.सं. 40 रकबा 0.08 है., आ.सं. 41 रकबा 0.07 है., आ.सं. 42 रकबा 0.15 है., आ.सं. 862 रकबा 0.55 है., आ.सं. 1555 रकबा 0.97 है. आ.सं. 1556 रकबा 0.01 है. किता 9 रकबा 2.17 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी की जाने हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को 500 रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं हो, अन्य किसी न्यायालय में वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं हो एवं मौके पर फसल खड़ी नहीं हो, कि जानकारी करने के उपरांत ही उभयपक्ष को सूचित कर, दोनों पक्षों की मौजूदगी में अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की मुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें। पत्थरगढ़ी का कमिश्नरी शुल्क मौके पर प्राप्त कर, शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित करें। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

क्रमांक/राजस्व/प्र0गा0सं0अ0 2021/प.(02/2019)

दिनांक :-09.11.2021

निमित्त,

तहसीलदार
भूपालसागर

विषय :- बाबत पत्थरगढ़ी।

1. श्री देवीलाल पिता वरदा जटिया निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री गंगाराम पिता किशना जटिया निवासी रावतिया
2. श्री सोहनसिंह पिता नामालुम राजपूत निवासी रावतिया
3. श्री टोलू पिता नारू जटिया निवासी रावतिया
4. श्री नरेन्द्र पिता देव जटिया निवासी रावतिया
5. श्री कालूराम पिता लेहरू जटिया निवासी रावतिया
6. श्री भैरूलाल पिता लालू जटिया जाट निवासी रावतिया
7. श्री भैरूलाल पिता प्रताप जटिया निवासी रावतिया
8. श्री मांगू पिता प्रताप जटिया निवासी रावतिया
9. श्री हरलाल पिता प्रताप जटिया निवासी रावतिया
10. श्री शंकर पिता प्रताप जटिया निवासी रावतिया
11. श्री देवजी पिता कालू जटिया निवासी रावतिया
12. श्री रामा पिता कालू जटिया निवासी रावतिया
13. श्री माधू पिता कालू जटिया निवासी कांकरवा
14. श्री खेमा पिता भगवान जटिया निवासी कांकरवा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 02/2019

--: प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी :-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम रावतिया पटवार हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर में स्थित आराजी संख्या 26 रकबा 0.12 है, आ.सं. 30 रकबा 0.13 है, आ.सं. 31 रकबा 0.09 है, आ.सं. 40 रकबा 0.08 है, आ.सं. 41 रकबा 0.07 है, आ.सं. 42 रकबा 0.15 है, आ.सं. 862 रकबा 0.55 है, आ.सं. 1555 रकबा 0.97 है, आ.सं. 1556 रकबा 0.01 है, किता 9 रकबा 2.17 हैक्टियर की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो, एवं अन्य किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित/विचाराधिन नहीं हो, तो पत्थरगढ़ी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

(भावना सिंह)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (राज.)